सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह यादव, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 88/2016 **दायर तारीख : 14-09-2016**

1. रूडी देवी पत्नि स्व0 हनुमान
2. मोहनलाल
3. कैलाश
4. कृष्ण
5. स्वामी प्रसाद } पिता स्व0 हनुमान
6. प्रेम
7. आशा
8. भरपाई
9. लाली } पुत्रियान स्व0 हनुमान

समस्त जाति बलाई निवासी पापडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0 **—— वादीगण**

बनाम

1. गौरीशंकर पुत्र श्री बालाराम जाति ब्राहम्ण निवासी रामनगर पी.जी कॉलेज के पास, मुखिया गुर्जर की कोठी के पास बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
2. केदार
3. महावीर } पिता बालाराम
4. विधा
5. लीला } पुत्रियान बालाराम } जाति ब्राहम्ण निवासी रामनगर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)। **—— प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणा खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

निर्णय दिनांकः–26.09.2019

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रहे कि वाके ग्राम पापडी के साबिक खसरा नंबर 889 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 892 रकबा 14 बिस्वा एवं 900 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा विश्म्भर पुत्र झूंथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त भूमि वादीगण संख्या 2 लगायत 9 के पिता एवं वादी संख्या 1 के पति हनुमान को जरिये रजिस्ट्री उक्त भूमि का बेचान दिनांक 17.07.1976 को किया था, तक से लेकर आत तक वादी संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 लगायत 9 के पिता एवं अब वादीगण शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी मुतनाजा के हाल सैटलमेन्ट में नये खसरा नंबर 1126/0.10, 1127/0.05, 1128/0.06, 1129/0.14, 1134/0.17 कुल किता 5 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर कायम किए गए, जिन पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह है कि वादी संख्या 2 लगायत 9 के पिता ने अपनी खरीद शुदा भूमि का खाता खुलवाने के लिए तत्कालीन पटवारी हल्का से सम्पर्क किया ,जिससे खाता नहीं खोलने पर वादी संख्या 2 लगायत 9 के पिता ने न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर शाहपुरा के यहां एक दावा बाबत इस्तकरार हक व हुक्म ईक्तनाई दवामी मुकदमा संख्या 20/1977 पेश किया, जिसमें खातेदार विश्म्भर ने दिनांक 19.12.1977 को राजीनामा भी पेश कर दिया था। उक्त राजीनामा व दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर शाहपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 10.08.1978 के द्वारा साबिक खसरा नंबर 889 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 892 रकबा 14 बिस्वा, 900 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया था। उक्त दावा के निर्णय की प्रति राजस्व कर्मचारियों को देने के बाद वादी संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 लगायत 9 के पिता एवं अब वादीगण यही समझते रहे कि खातेदारी अब उकने नाम दर्ज रिकॉर्ड हो गयी होगी। अर्सा कुछ माह पूर्व जब वादीगण अपने खेतों की सूड कर रहे थे तथी कुछ व्यक्ति वादीगण की भूमि पर आये और उसके कब्जे एवं मालिक के बारे में पूछताछ करने लगे, जब वादीगण द्वारा भूमि उनकी खातेदारी होने के बात कहने पर उन्होंनें खातेदारी विशम्भर ब्राहम्ण के नाम दर्ज होने की बात कही, जिस पर संबंधित रिकॉर्ड की नकले निकलवाई जब जानकारी हुई की वादीगएण की उक्त आराजी की खातेदार अभी भी पूर्व खातेदार विशम्भर के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। आराजी मुतनाजा के पूर्व खातेदार विशम्भर के कोई पुत्र सन्तान नहीं थी। केवल एक बेटी मेवा ही हुई थी। जिसके [illegible] के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। वादीगण की उक्त आराजी [illegible] 2010 से ही वादीगण एवं उसके पूर्वज हनुमान के कब्जे काश्त में चली आई है। जिसे वादीगण के पूर्व हनुमान ने कब्जेदार खातेदार से जरिये रजिस्ट्री के क्रय भी कर लिया था। एवं बाद में न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर शाहपुरा द्वारा खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया था एवं वादीगण के पूर्वज को शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देने के लिए पाबंद भी कर दिया था। परन्तु विश्म्भर के वारिसान प्रोपर्टी के कारोबारियों से मिलकर वादीगण के उक्त आराजी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1134/0.17 कुल किता 5 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं काश्त एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर शाहपुरा की डिक्री के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी खाता संख्या 241 संवत् 2071–2074, नकल हाल खातौनी बंदोबसत, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल साबिक जमाबंदी खसरा नंबर 889, 892, 900, नकल रजिस्ट्री दिनांक 17.07.1976, नकल मिसल नंबर 182/78 की राजीनामा, निर्णय एवं डिक्री की प्रति पत्रावली सहायक कलेक्टर शाहपुरा आदि पेश किए है।

3. दावा बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादीगण सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

4. प्रकरण में तनकीयात विवेचित की गई जो बिन्दुवार निम्नानुसार है–

   (1). आया ग्राम पापडी के साबिक खसरा नंबर 889 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 892 रकबा 14 बिस्वा, 900 रकबा 5 बिस्वा की आराजी वादी संख्या 2 लगायत 9 के पिता एवं वादी संख्या 1 के पति हनुमान की जरिए रजिस्ट्री खरीदशुदा भूमि है? वादीगण उक्त साबिक खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर 1126/0.10, 1127/0.05, 1128/0.06, 1129/0.14, 1134/0.17 हैक्टेयर की खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी है?

   ––जिम्मेवादीगण

   (2). आया वादीगण बाद घोषणा खातेदारी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद कराने के अधिकारी है? **––जिम्मेवादीगण**

5. तनकी संख्या 1 एवं 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने तथ्यों साबित करने के लिए वादीगण की तरफ से गवाह पी.डब्लू. 1 कैलाश व गवाह पी.डब्लू. 2 लक्ष्मण [illegible] ने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी संवत् 2071–74 प्रदर्श–1, नकल हाल खातौनी बंदोबस्त प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी साबिक खसरा नंबर 889, 892 900, प्रदर्श–4, [illegible] सहायक कलेक्टर शाहपुरा की पत्रावली मुकदमा हनुमान बनाम विश्म्भर मुकदमा नंबर 20/77 प्रदर्श–5, नकल राजीनामा प्रदर्श–6, नकल निर्णय दिनांक 10.08.1978 प्रदर्श–7, नकल डिक्री प्रदर्श–8, नकल विक्रय पत्र लादी देवी पुत्री श्योबक्स दिनांक 17.07.1976 प्रदर्श–9 आदि पेश किए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

6. बहस विद्वान अधिवक्ता, पैराकार सरकार सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में बताया की वादी व खातेदार विशम्भर एक परिवार के व्यक्ति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

थी, जिससे लादी देवी ने वादीगण के पिता मृतक हनुमान के हक में रजिस्ट्री तस्दीक करवाई थी। इस संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर शाहपुरा के यहां पेश हुए दावा में स्वयं खातेदार विश्म्भर ने उपस्थित होकर राजीनाम पेश किया है। एवं उसके स्थान पर क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने कि स्थिति में उसके कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। उक्त खातेदार फौत हो चुका है। उसके वारिसान में उसकी नातियों की तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहे है। वादीगण ग्रामीण परिवेश की व्यक्ति है, जो पूर्व में न्यायालय सहायक कलेक्टर शाहपुरा के यहां से उनके पूर्वज हनुमान के हक में हुए डिक्री की समय पर पालना नहीं करवा सकें। ऐसी स्थिति में डिक्री मियाद बाहर हो जाने से पुनः दावा पेश करना आवश्यक हो गया था। खातेदार स्वयं पूर्व में न्यायालय में उपस्थित होकर खातेदारी वादीगण के पूर्वज हनुमान के हक में खोले जाने की सहमति दे चुका है। ऐसी स्थिति उनका वाद डिक्री किया जावें।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम पापडी के साबिक खसरा नंबर 889 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 892 रकबा 14 बिस्वा एवं 900 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा विश्म्भर पुत्र झूंथा के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। आराजी मुतनाजा पर काश्त लादी पुत्री श्योबक्स ब्राहम्ण साबिक सैटलमेन्ट से पहले से करती थी। जिन्होनें अपनी उकत भूमि वादीगण संख्या 2 लगायत 9 के पिता एवं वादी संख्या 1 के पति हनुमान को जरिये रजिस्ट्री उक्त भूमि का बेचान दिनांक 17.07.1976 को किया था, तक से लेकर आत तक वादी संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 लगायत 9 के पिता एवं अब वादीगण शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी मुतनाजा के हाल सैटलमेन्ट में नये खसरा नंबर 1126/0.10, 1127/0.05, 1128/0.06, 1129/0.14, 1134/0.17 कुल किता 5 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर कायम किए गए, जिन पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह है कि वादी संख्या 2 लगायत 9 के पिता ने अपनी खरीद शुदा भूमि को खुलवाने के लिए तत्कालीन पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, जिसने खाता नहीं खोलने पर वादी संख्या 2 लगायत 9 के पिता ने न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर शाहपुरा के यहां एक दावा बाबत इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी मुकदमा संख्या 20/1977 पेश किया, जिसमें खातेदार विश्म्भर ने दिनांक 19.12.1977 को राजीनामा भी पेश कर दिया था। उक्त राजीनामा व दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर शाहपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 10.08.1978 के द्वारा साबिक खसरा नंबर 889 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 892 रकबा 14 बिस्वा, 900 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

2 लगायत 9 के पिता एवं अब वादीगण यही समझते रहे कि खातेदारी अब उकने नाम दर्ज रिकॉर्ड हो गयी होगी। अर्सा कुछ माह पूर्व जब वादीगण अपने खेतों की सूड कर रहे थे तथी कुछ व्यक्ति वादीगण की भूमि पर आये और उसके कब्जे एवं मालिक के बारे में पूछताछ करने लगे, जब वादीगण द्वारा भूमि उनकी खातेदारी होने के बात कहने पर उन्होंनें खातेदारी विशम्भर ब्राहम्ण के नाम दर्ज होने की बात कही, जिस पर संबंधित रिकॉर्ड की नकले निकलवाई जब जानकारी हुई की वादीगएण की उक्त आराजी की खातेदार अभी भी पूर्व खातेदार विशम्भर के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। आराजी मुतनाजा के पूर्व खातेदार विशम्भर के कोई पुत्र सन्तान नहीं थी। केवल एक बेटी मेवा ही हुई थी। जिससे मेवा के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। वादीगण की उक्त आराजी संवत् 2019 से ही वादीगण एवं उसके पूर्वज हनुमान के कब्जे काश्त में चली आई है। जिसे वादीगण के पूर्व हनुमान ने कब्जेदार खातेदार से जरिये रजिस्ट्री के क्रय भी कर लिया था। एवं बाद में न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर शाहपुरा द्वारा खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया था एवं वादीगण के पूर्वज को शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देने के लिए पाबंद भी कर दिया था। परन्तु विश्म्भर के वारिसान प्रोपर्टी के कारोबारियों से मिलकर वादीगण के उक्त आराजी को रहन, बय विक्रय अंतरण करना चाहते है। वादीगण के अपने वाद पत्र के तथ्यों साबित करने के लिए वादी की तरफ से गवाह पी.डब्लू. 1 कैलाश व गवाह पी. डब्लू. 2 लक्ष्मणराम पेश हुए। साक्ष्यवादी के रूप में उपस्थित लक्ष्मणराम के प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में कथन रहे कि उक्त जमीन को वादिया रूडी देवी एवं शेष वादीगण के पिता हनुमान ने जरिये रजिस्ट्री अब से करीब 43 वर्ष पूर्व पहले खरीदी थी और खरीद के दिन से लेकर आज तक अपनी खरीदशुदा भूमि पर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण ने इस जमीन की कभी काश्त भी नहीं की। इनके पूर्वज विशम्भर ने भी इस बाबत सहायक कलेक्टर कोर्ट शाहपुरा में राजीनामा पेश किया था, जिससे वादीगण का दावा डिक्री किया जावें। वकील वादीगण ने अपनी बहस में बताया की लादी व खातेदार विशम्भर एक परिवार के व्यक्ति है। खातेदारी विश्म्भर के नाम थी, जबकि [illegible] पर काश्त लादी देवी करती थी, जिससे लादी देवी ने वादीगण के पिता [illegible] हनुमान के हक में रजिस्ट्री तस्दीक करवाई थी। इस संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर शाहपुरा के यहां पेश हुए दावा में स्वयं खातेदार विश्म्भर ने उपस्थित होकर राजीनाम पेश किया है। एवं उसके स्थान पर क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने कि स्थिति में उसके कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। उक्त खातेदार फौत हो चुका है। उसके वारिसान में उसकी नातियों की तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहे है। वादीगण ग्रामीण परिवेश की व्यक्ति है, जो पूर्व में

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

मियाद बाहर हो जाने से पुनः दावा पेश करना आवश्यक हो गया था। खातेदार स्वयं पूर्व में न्यायालय में उपस्थित होकर खातेदारी वादीगण के पूर्वज हनुमान के हक में खोले जाने की सहमति दे चुका है। ऐसी स्थिति उनका वाद डिक्री किया जावें। उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम पापडी के खसरा नंबर खसरा नंबर 1126/0.10, 1127/0.05, 1128/0.06, 1129/0.14, 1134/0.17 कुल किता 5 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर का वादीगण को काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिए जाते है कि उक्त आराजी से खातेदार विश्म्भर पुत्र मु. झूंथा जाति ब्राहम्ण का नाम हजफ कर वादीगण के नाम बहिस्सानुसार अमल दरामद किया जावें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– जयवीर सिंह आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. रूड़ी देवी पत्नि स्व0 हनुमान
2. मोहनलाल
3. कैलाश
4. कृष्ण
5. स्वामी प्रसाद

(2 से 5) पिता स्व0 हनुमान

6. प्रेम
7. आशा
8. भरपाई
9. लाली

(6 से 9) पुत्रियान स्व0 हनुमान

समस्त जाति बलाई निवासी पापडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0 **—— वादीगण**

बनाम

1. गौरीशंकर पुत्र श्री बालाराम जाति ब्राहम्ण निवासी रामनगर पी.जी कॉलेज के पास, मुख्यिा गुर्जर की कोठी के पास बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
2. केदार
3. महावीर

(2 व 3) पिता बालाराम

4. विधा
5. लीला

(4 व 5) पुत्रियान बालाराम

(2 से 5) जाति ब्राहम्ण निवासी रामनगर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)। **—— प्रतिवादीगण**

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 88/2016 **दावा बाबत घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा** पेश मुकदमा अर्सा इन्फिसाल कतैई रूबरू **श्री आनंद सिंह शेखावत** व हाजरी ... मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुतालह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम पापडी के खसरा नंबर 1126/0.10, 1127/0.05, 1128/0.06, 1129/0.14, 1134/0.17 कुल किता 5 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं काश्त एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर शाहपुरा की डिक्री के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

सुना गया। वाद पत्र में वादीगण अधिवक्ता को सुना गया एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया, जिससे वादीगण ग्राम पापडी के खसरा नंबर 1126/0.10, 1127/0.05, 1128/0.06, 1129/0.14, 1134/0.17 कुल किता 5 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार होना साबित होता है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम पापड़ी के खसरा नंबर खसरा नंबर 1126/0.10, 1127/0.05, 1128/0.06, 1129/0.14, 1134/0.17 कुल किता 5 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर का वादीगण को काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिए जाते है कि उक्त आराजी से खातेदार विश्म्भर पुत्र मु. झूंथा जाति ब्राहम्ण का नाम हजफ कर वादीगण के नाम बहिस्सानुसार अमल दरामद किया जावें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 26.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य................... .खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** **26.09.2019** को जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत इजराय	
बबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
		मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested